


किया। वकील वारी द्वारा पत्रावली नोट प्रेश  
करते का निवेदन किया। वकील वारी  
द्वारा नोट-प्रेस किया जाने के आशय  
पर वाद खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फौजदारी नुमांश होकर दायित्व  
दफ्तर होवे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा